# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 429/2023**

दीपक मालव –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 18.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 01.02.2023

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री वीरेन्द्र गोदारा, अभिभाषक

**समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी–।। के पद पर कार्यरत है अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज मनोहरथाना, उपवन संरक्षक, झालावाड से पी एण्ड एम, कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, कोटा किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक–3) से पदस्थापित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आगे निवदेन किया कि कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–4) के परिपत्र में यह व्यवस्था दी गई है कि फिल्ड पोस्टिंग के पदों पर पदस्थापन के संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि उनका पदस्थापन सेवा अभिलेख में अंकित है कि उनके निवास स्थान जिले/गृह जिले में नहीं किया जावे। अपीलार्थी की भी फिल्ड पोस्टिंग है। अतः उक्त परिपत्र के उल्लंघन में आलोच्य आदेश जारी हुआ है। अतः आलोच्य आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–4) में संदर्भित बिन्दु 4 का उद्धरण दिया है कि ''फील्ड पोस्टिंग वाले पदों यथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट पुलिस उपाधीक्षक तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक आदि के पदस्थापन के संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि उनका पदस्थापन सेवा अभिलेख में अंकित उनके निवास स्थान जिले/गृह जिला में नहीं किया जावे। उक्त पदों के अतिरिक्त संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न

पदों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर ऐसे पदों को भी चिन्हित किया जा सकता है जिन पर निवास स्थान जिले/गृह जिले में पदस्थापन नहीं किया जाना हो।''

उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन पदों पर गृह जिले में पदस्थापन नहीं किया जाना हो उनका अंकन इस परिपत्र में है। अपीलार्थी वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी–।। के पद पर पदस्थापित है एवं वन विभाग द्वारा इस पद के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र में अंकन नहीं है और न ही वन विभाग द्वारा इस परिपत्र के अनुक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी–।। को गृह जिले में पदस्थापित नहीं किए जाने के संबंध में चिन्हित किया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। इसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

| | |
|---|---|
| **(चेतन राम देवड़ा)** | **(अनन्त भंडारी)** |
| **सदस्य** | **सदस्य (न्यायिक)** |